छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या,
880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय–रायपुर.

क्रमांक / स्था.वि. / 212 / 2016 रायपुर, दिनांक : 29.06.2016

:: आदेश ::

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित में सहायक प्रबंधक एवं सहायक लेखाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 13.09.2015 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त प्राविण्य सूची के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर द्वारा दिनांक 10.05.2016 को अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग आयोजित किया गया। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल से प्राप्त प्राविण्य सूची एवं अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की काउंसिलिंग के आधार पर प्रतीक्षा सूची के सहायक लेखाधिकारी के पद पर चयनित निम्नांकित उम्मीदवारों को वेतनमान रूपये 9300–34800+ग्रेड वेतन 4200/– प्रतिमाह एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	श्रेणी	चयन का वर्ग	निवास पता
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशुतोष कौशिक	श्री नरेशकुमार कौशिक	अनारक्षित	अना. (मुक्त)	उमेश किराना स्टोर्स के पास, बिलासपुर रोड, लक्ष्मीपुर पो.आ. –अम्बिकापुर सरगुजा (छ.ग.) पिन–497001
2	श्री मंयक कुमार मण्डावी	श्री नरेशकुमार मण्डावी	अ.ज.जाति	अ.ज.जाति (मुक्त)	पेरागांव उमरदाह, पो.आ.–बेलमंद, बालोद, जिला–बालोद (छ.ग.) पिन–491226

उक्त चयनित उम्मीदवार दिनांक 01.07.2016 दिन शुक्रवार को विपणन संघ के मुख्यालय 880, सिविल लाईन मुख्यालय रायपुर में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त नियुक्तियां निम्न प्रतिबंधों के आधार पर की जाती है :–

(1) उम्मीदवार की सेवाएं संघ के कर्मचारी सेवानियम अनुसार शासित होगी।

(2) ये नियुक्तियां प्रथमतः दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेगी। परिवीक्षा में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उनकी सेवाएं बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

(3) शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने संबंधी जिले के सिविल सर्जन का मेडिकल फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन्हें कार्य पर उपस्थित कराया जा सकेगा। चिकित्सा प्रमाण–पत्र में अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जावेगी।

(4) उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थिति के समय निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण–पत्र जिसमें जन्मतिथि का भी उल्लेख हो, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण–पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण–पत्र, स्थायी विकलांग प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण–पत्र, उच्चतर आयु में छूट प्रमाण–पत्र आदि की स्वसत्यापित छायाप्रति एवं उक्त उम्मीदवारों के अन्यत्र कार्यरत् होने की स्थिति में संबंधित विभाग से प्राप्त कार्यमुक्ति आदेश उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(5) सेवा के संबंध में कम से कम 03 वर्ष अनिवार्यतः सेवा में रहने संबंधी रू. 50,000.00 (रू. पचास हजार) का बाण्ड भरना आवश्यक होगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है जिसे रू. 50/– (पचास रूपये) के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में भरकर नोटरी से सत्यापित कराकर जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्रमशः ... 2

(6) उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी किसी भी समय किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो उनकी सेवाएं बिना कोई सूचना दिये अविलम्ब समाप्त की जा सकेगी तथा उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(7) संघ द्वारा प्रत्येक चयनित उम्मीदवार का चरित्र संबंधी पुलिस सत्यापन कराया जावेगा। सत्यापन में विपरीत टीप पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।

(8) यह नियुक्तियां माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगी।

(9) विकलांग संवर्ग में विकलांग उम्मीदवारों का चयन शासन के नियमानुसार 40 प्रतिशत् एवं 40 प्रतिशत् से अधिक स्थायी विकलांगता के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के आधार पर किया गया।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार,

:: प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित ::

(एन.के.सिंह)
सचिव,
(विपणन संघ)

पृ.क्रमांक / स्था.वि. / 212 / 2016 **रायपुर, दिनांक : 29.06.2016**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय अध्यक्ष, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., रायपुर के निज सहायक को अध्यक्ष महोदय के ध्यानार्थ।
2. पंजीयक सहकारी संस्थाएं, रायपुर को सूचनार्थ।
3. प्रबंध संचालक के निज सहायक को प्रबंध संचालक महोदय के ध्यानार्थ।
4. महाप्रबंधक (समस्त), मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
5. मुख्यलेखाधिकारी, मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
6. प्रबंधक (स्थापना / राईस मिलें / अन्य प्रक्रिया / भंडारण / विपणन), मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
7. श्री ....

   ....को

   सूचनार्थ एवं आदेश पालनार्थ।
8. लेखाधिकारी / वेतन देयक / भविष्य निधि / मुख्यालय रायपुर को सूचनार्थ।
9. व्यक्तिगत नस्ति हेतु।

सचिव,
(विपणन संघ)